

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32/2021

अपीलार्थीगण –

बनाम

उत्तरदाता–

1. हिंदुसिंह पुत्र पन्नेसिंह
जाति राजपूत निवासी कुबडिया
गिराब तहसील गडरारोड़ जिला
बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार गडरारोड़ जिला
बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.09.2021 जो प्रकरण सं. 03/2021 में तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.04.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण सं. 03/2021 सरकार बनाम हिंदुसिंह में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का गिराब द्वारा तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गिराब के खसरा नम्बर 752 रकबा 912.09 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 बीघा भूमि पर गैर सायल द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा-काश्त कर अतिक्रमण एवं कब्जा बाड़ कर ली है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस

जवाब हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया, परंतु अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 23.09.2021 के द्वारा तीन माह का सिविल कारावास की सजा एवं 30/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक 30.09.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय पर विहंगम दृष्टिपात किए जाने से प्रकट होता है कि विवेच्य निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित बिना गहराई में गए सरसरी तौर पर छपे-छपाए प्रफॉर्मा में यह निर्णय पारित किया गया है। वास्तव में अपीलकर्ता का गोचर भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था बल्कि अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 80 पर ही कब्जा व काश्त विद्यमान था। परंतु खातेदारी भूमि व गोचर भूमि के मध्य सीमांकन बिंदू कायम नहीं होने के कारण अपीलकर्ता द्वारा इस वर्ष अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त की गई थी। परंतु अतिक्रमण की चर्चा सुनने पर अपीलकर्ता द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करने पश्चात् वादग्रस्त भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया था। विवादित ग्राम गिराब के खसरा नंबर 752 रकबा 30 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अपीलांत को बेदखल कर कब्जा हल्का पटवारी गिराब ने ग्राम के मौजीज लोगों के सामने उक्त

भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। अपीलांट ने अपने कब्जा उक्त भूमि पर छोड़ दिया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अपीलांट के विरुद्ध शास्ती के रूप में 30 रुपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए तीन माह का सिविल कारावास का दण्ड दिया गया जिसका अपीलांट को कोई जानकारी नहीं। बावजूद इसके अपीलार्थी को कथित रूप से विवादित खसरा नंबर 752 का अतिक्रमी होना दर्शाया है। ऐसी दशा में भी विवेच्य निर्णय खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना निर्विवाद रूप से साबित नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय श्री तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा भुगताने का आदेश पारित किया है, जो सर्वथा गलत ही नहीं बल्कि विधिविरुद्ध भी है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्टकर्ता हल्का पटवारी के बयान नियमानुसार सशपथ दर्ज नहीं किए हैं और न ही जिरह का अवसर दिया है। न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का संधारण विहित प्रक्रिया से नहीं किया गया है। कथित अतिक्रमण की सही पैमाईश नहीं की गई है कि आया अपीलार्थी विप्रार्थी का पुराना कब्जा सरकारी खसरा नंबर 752 में आता है या नहीं। इतना ही नहीं सिविल जैल की सजा का विवेच्य निर्णय दिनांक 23.09.2021 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो कि विधि अनुसार अनुमत नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण पूर्णरूपेण त्रुटिग्रस्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है क्योंकि हाल ही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस को लेकर पुलिस द्वारा गांव में अपीलांट बारे में पूछताछ करने पर अपीलांट को अंदेशा हुआ तब विवेच्य आदेश व निर्णय दिनांक 23.09.2021 की

प्रमाणित प्रति चाही गई जो दिनांक 27.09.2021 को प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी मिली है।

6. रेस्पोंडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर 752 रकबा 912.09 बीघा किरम गैर मुमकिन गोचर में से 30 बीघा भूमि पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी गिराब द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्ता का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया, परंतु अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वास्तव में अपीलकर्ता का गोचर भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था बल्कि अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 80 पर ही कब्जा व काश्त विद्यमान था। परंतु खातेदारी भूमि व गोचर भूमि के मध्य सीमांकन बिंदू कायम नहीं होने के कारण अपीलकर्ता द्वारा इस वर्ष अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त की गई थी। परंतु अतिक्रमण की चर्चा सुनने पर अपीलकर्ता द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करने पश्चात् वादग्रस्त भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया था। विवादित ग्राम गिराब के खसरा नंबर 752 रकबा 30 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अपीलांट को बेदखल कर कब्जा हल्का पटवारी गिराब ने ग्राम के मौजीज लोगों के सामने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। अपीलांट ने अपने कब्जा उक्त भूमि पर छोड़ दिया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अपीलांट के विरुद्ध शास्ती के रूप में 30 रुपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए तीन माह का सिविल कारावास का दण्ड दिया गया जिसका अपीलांट को कोई जानकारी नहीं।

बावजूद इसके अपीलार्थी को कथित रूप से विवादित खसरा नंबर 752 का अतिक्रमी होना दर्शाया है। ऐसी दशा में भी विवेच्य निर्णय खारिज किए जाने योग्य है। जहां तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है तो हल्का पटवारी के संज्ञान में आने पर समस्त प्रकार की राजकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की सूचना/रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने का पदीय दायित्व है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है एवं इस संबंध में तहसीलदार गडरारोड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2026 के अनुसार आदिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा उक्त खसरे पर है। इस प्रकार अपीलांत द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से सिविल कारावास का जो दण्डादेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2021 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है।
9. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह चांदाबत)
अपर कलेक्टर (बाड़मेर)
अपर जिला कलेक्टर
(प.डी.एन.)
बाड़मेर